सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल संख्या- NCST/SER-2360/MHRD/25/2025-आर.यू-IV

दिनांक: 20 अगस्त, 2025

सेवा में,

आयुक्त,
नवोदय विद्यालय समिति,
बी-15, संस्थागत क्षेत्र, सेक्टर 62,
नोएडा, उत्तर प्रदेश 201307
Email: nlinvsnoida@gmail.com

विषय:- मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा जवाहर नवोदय विद्यालय, हनुमानगढ़ (राजस्थान) में नियुक्ति देने के संबंध में – श्री महेश कुमार मीना, पी.जी.टी (गणित), जे.एन.वी., पल्लु, हनुमानगढ़ (राजस्थान) का दिनांक 23.04.2025 का मेल/अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक **05.08.2025 को सांय 4.00 बजे** आयोग की माननीया सदस्य (डॉ.आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में होने वाली सिटिंग का संदर्भ लें। इस सिटिंग का **कार्यवृत्त** इस पत्र के सथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है कि सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुढावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की रिपोर्ट इस आयोग को **15 दिन के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

20.8.2025

(योगेन्द्र प्र. यादव/ Y.P. Yadav)
उप सचिव/Deputy Secretary
Telephone No. : 011-24615012
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रतिलिपि प्रेषित:-
श्री मुकेश कुमार मीना,
पी.जी.टी (गणित),
जे.एन.वी., पल्लु,
हनुमानगढ़ (राजस्थान) - 335512,
Mobile No:9664419992

(ii) माननीया सदस्य (डॉ.आशा लकड़ा) के निजी सचिव

(iii) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) - अपलोडिंग के लिए

File No. NCST/SER-2360/MHRD/25/2025-RU-IV

श्री मुकेश कुमार मीना, पी.जी.टी. (गणित), जवाहर नवोदय विद्यालय, पल्लु, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) द्वारा दिनांक 23.04.2025 को प्रस्तुत अभ्यावेदन, जिसमें मानसिक प्रताड़ना एवं स्थानांतरण से संबंधित विषयों का उल्लेख किया गया है, के संदर्भ में दिनांक 05.08.2025 को अपराह्न 04:00 बजे आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत्त ।

सिटिंग की दिनांक: 05.08.2025 को 04:00 pm बजे

सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागीः अनुलग्नक-I के अनुसार।

श्री मुकेश कुमार मीना की शिकायत आयोग को दिनांक 23.04.2025 को प्राप्त हुई। अपनी शिकायत में उन्होंने उल्लेख किया है कि दिनांक 04 सितम्बर 2017 को उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय, हालंकांडी (असम) में पी.जी.टी. (गणित) पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। चार वर्षों की सेवा उपरांत, दिनांक 21 अगस्त 2021 को उनका स्थानांतरण पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, पल्लु, हनुमानगढ़ (राजस्थान) में कर दिया गया, जहाँ उन्होंने वर्ष 2024 तक सराहनीय सेवाएँ प्रदान कीं।दिनांक 07 अगस्त 2024 को विद्यालय में कक्षा 11 के एक छात्र, अमृत सिंह, द्वारा अनुशासनहीनता एवं एक कनिष्ठ छात्र के प्रति अनुचित व्यवहार की एक घटना घटित हुई। उक्त प्रकरण में श्री मीना ने समय रहते आवश्यक समझाइश प्रदान की। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में श्री मीना की ओर से किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं पाई गई।उक्त घटना के पश्चात उनका स्थानांतरण कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें वर्तमान कार्यस्थल पर विभिन्न प्रकार की असुविधाओं एवं मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। अतः वे अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें पुनः पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, पल्लु, हनुमानगढ़ (राजस्थान) में स्थानांतरित किया जाए।

2. आयोग द्वारा दिनांक 20.06.2025 को आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा,उत्तर प्रदेश को यथोचित कार्रवाई विवरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। तथापि,

आशा लकड़ा

संतोषजनक प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के कारण, प्रकरण की सुनवाई हेतु दिनांक 05.08.2025 को तिथि निर्धारित की गई।तदनुसार संबंधितों 30.07.2025 को सिटिंग नोटिस जारी किए गए ।

3. सुनवाई के दौरान आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा उपस्थित नहीं हुए, उनके स्थान पर समिति के जॉइंट कमिश्नर एवं डिप्टी कमिश्नर उपस्थित रहे। उन्होंने अवगत कराया कि श्रीमुकेश कुमार मीना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनका स्थानांतरण किया गया था, क्योंकि उक्त प्रकरण में तनाव और संभावित साम्प्रदायिक हिंसा की आशंका थी। वमामला अभी न्यायालय में भी मामला लंबित है

4. श्री मीना ने सुनवाई में बताया कि स्थानांतरण के पश्चात उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है, पारिवारिक देखभाल में भी कठिनाई हो रही है, और वर्तमान में उन्हें आवंटित क्वार्टर भी असुविधाजनक है, जहाँ रहना कठिन है।

5. **<u>प्रकरण की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती हैं:</u>**

1. जब तक परिस्थितियाँ सामान्य नहीं हो जातीं, तब तक श्री मीना को वर्तमान स्थान पर कार्यरत रखा जाए। स्थिति अनुकूल होते ही, उन्हें उनकी पारिवारिक एवं मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निकटवर्ती स्टेशन पर स्थानांतरित किया जाए।
2. श्री मीना को यथाशीघ्र एक अलग, उपयुक्त आवास (Quarter) आवंटित किया जाए, जिससे वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित एवं सम्मानजनक ढंग से निवास कर सकें।
3. मामले में कार्यवाही की रिपोर्ट 30 दिवस में आयोग को प्रेषित की जाए

आशा लकड़ा
21/08/2025

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi